भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 353
बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं</u>

353. श्री जयन्त बसुमतारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व में सौर ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं आरंभ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदत्त विद्यालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उत्तर-पूर्व में विद्यालयों में सौर ऊर्जा प्रणालियों के उपयोग में वृद्धि करने के लिए किन्हीं वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आवासीय प्रतिष्ठानों को दी जा रही सौर पैनल राजसहायता के अंतर्गत विद्यालयों को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 1496 स्कूलों द्वारा सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): नई सौर विद्युत योजना में (जनजातीय तथा पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) स्कूलों सहित 2000 सार्वजनिक संस्थानों को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से सौरीकृत करने का प्रावधान है, जहाँ ग्रिड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति करना तकनीकि-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इस योजना का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 353 के भाग (क) तथा (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए चल रही प्रमुख योजनाओं का विवरण

(i) पीएम-कुसुम योजना:

पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना लघु ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत संयंत्रों (घटक-क), स्टैंड-अलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना (घटक-ख) और फीडर-स्तर सौरीकरण (घटक-ग) सहित मौजूदा ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सीएफए/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:-

i. घटक-क के अंतर्गत: किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली भूमि पर विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए डिस्कॉमों को पांच वर्षों के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) 0.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से दिया जाएगा। ऐसे संयंत्र प्रत्येक किसान, सौर विद्युत डेवलपर, सहकारी समितियाँ, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। डिस्कॉम को संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीबीआई दिया जाता है। अतः, डिस्कॉम को कुल देय पीबीआई 33 लाख रुपये प्रति मेगावाट तक है।
ii. घटक-ख तथा घटक-ग दोनों के तहत एनईआर/पहाड़ी क्षेत्रों/द्वीपों में 7.5 एचपी क्षमता तक के कृषि पंपों की स्थापना करने वाले/सौरीकरण करने वाले सभी व्यक्तिगत किसानों को सीएफए प्रदान किया जाता है और बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, 15 एचपी तक की पंप क्षमता के लिए सीएफए उपलब्ध होगा, तथापि, यह राज्य में कुल स्थापनाओं के 10 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।
iii. घटक-ग के अंतर्गत फीडर स्तर सौरीकरण के तहत, सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत 3.5 करोड़ रु./मेगावाट मानते हुए सीएफए की गणना की जाती है। अतः, राज्यों को 1.75 करोड़ रु./मेगावाट का सीएफए प्रदान किया जा सकता है।

(ii) पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजनाः

इस योजना के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है। यह योजना 1 किलोवाट और 2 किलोवाट रूफटॉप सौर प्रणालियों के लिए परियोजना बेंचमार्क लागत का 60 प्रतिशत और तीसरी किलोवाट प्रणाली के लिए परियोजना बेंचमार्क लागत का अतिरिक्त 40 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करती है। सीएफए की सीमा 3 किलोवाट तक सीमित होगी। सीएफए राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	पूर्वोत्तर में सीएफए
1.	आवासीय क्षेत्र (प्रथम 2 किलोवाट पीक)	33,000 रुपए/किलोवाट पीक
2.	आवासीय क्षेत्र (अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक)	19,800 रुपए/किलोवाट पीक
3.	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4.	जीएचएस/आरडब्ल्यूए आदि के लिए साझा सुविधाओं हेतु 500 किलोवाट पीक तक (प्रति घर 3 किलोवाट पीक की दर से)	19,800 रुपए/किलोवाट पीक

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन, आदर्श सौर गांव का विकास, नवोन्मेषी परियोजनाएं, भुगतान सुरक्षा तंत्र, क्षमता निर्माण, जागरुकता और आउटरीच आदि के लिए भी सहायता उपलब्ध है।

(iii) सौर पार्क:

सौर पार्क योजना के अंतर्गत डीपीआर तैयार करने (प्रति सौर पार्क 25 लाख रुपये तक) और अवसंरचना विकास (प्रति मेगावाट 20 लाख रुपये तक अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो) के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और विशेष पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियाँ/गांवों के लिए)

इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा चिह्नित जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के प्रावधान के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा। इस योजना में पीएम जनमन के तहत अनुमोदित पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल है। इसी प्रकार, इस योजना में डीए जेजीयूए के तहत अनुमोदित ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों के सौरीकरण का प्रावधान भी शामिल है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियाँ केवल वहीं प्रदान की जाएँगी जहाँ ग्रिड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। पीएम जनमन और डीए जेजीयूए के तहत योजना के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	घटक	केंद्रीय हिस्सा (100 प्रतिशत)	स्वीकृत वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	समय-सीमा
1	1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफग्रिड प्रणाली का प्रावधान	50,000 रुपये प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार	500	वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26
2	सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान	प्रति एमपीसी 1 लाख रुपये	15	
3	ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण	1 लाख रुपये प्रति किलोवाट	400	वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29

अनुलग्नक-**II**

'सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.11.2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 353 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने वाले विद्यालयों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	3
2	असम	1082
3	मणिपुर	51
4	मिजोरम	25
5	नागालैंड	299
6	सिक्किम	36
कुल		1496

*****